64

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0सिंह

सदस्य

(1) निगरानी प्रकरण कमांक 1167–दो/2010 विरूद्ध आदेश दिनॉक 22–7–10 –पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 10/2009–10 निगरानी

(2) निगरानी प्रकरण कमांक 4287–I/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–7–2.010– पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 1/2009–10 निगरानी

(1) निगरानी प्रकरण कमांक 1167–दो/2010 के पक्षकार

अल्लानूर मृतक वारिस
1– अहमद 2– बाबू खॉ 3– बाजिद अली ।
4– शहीद चारों पुत्रगण अल्लानूर
5– खातून 6– फरीदा 7– नसीर
तीनों पुत्रियॉ अल्लानूर
सभी निवासी कस्वा बालापुर तहसील
व जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन
2– श्रीमती कृष्णा गुप्ता पत्नि दौलतराम
निवासी मेन बाजार श्योपुर
3– मनोज मित्तल पुत्र ओमप्रकाश मिततल
निवासी बड़ोदा रोड श्योपुर ---अनावेदकगण

(2) निगरानी प्रकरण कमांक 4287–I/2016

1– श्रीमती कृष्णा गुप्ता पत्नि दौलतराम
निवासी मेन बाजार श्योपुर
2– मनोज मित्तल पुत्र ओमप्रकाश मिततल
निवासी बड़ोदा रोड श्योपुर ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– अहमद 2– बाबू खॉ 3– बाजिद अली
4– शहीद चारों पुत्रगण अल्लानूर
5– खातून 6– फरीदा 7– नसीर
तीनों पुत्रियॉ अल्लानूर सभी निवासी
कस्वा बालापुर तहसील व जिला श्योपुर मध्य प्रदेश
8– मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

निगरानी प्र0क0 1167-दो/2010 के अभिभाषक
(आवेदकगण के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदक क्र. 2,3 के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर)
(शासन के पैनल लायर)
निगरानी प्र0क0 4287-दो/2016 के अभिभाषक
(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर)
(शासन के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 6-9-2017 को पारित)

यह दो निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 10/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दि. 22-7-10 एंव प्रकरण कमांक 1/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 22-7-10 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। दोनों निगरानी प्रकरणों से संलिप्त भूमियॉ एंव पक्षकार समान होने से एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अल्लानूर पुत्र रहीम जाति मुसलमान निवासी कस्वा श्योपुर कलॉ (बालापुरा) ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 57 आवेदन देकर बताया कि ग्राम श्योपुर कलॉ की भूमि सर्वे कमांक 1690 रकबा 14 विसवा तथा 1691 रकबा 2 वीघा 5 विसवा कुल किता दो कुल रकबा 2 वीघा 19 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर वह पिछले 30 - 40 साल से खेती करते आ रहा है इस भूमि का उसे तत्का. जमींदार ने पटटा दिया था, किन्तु भूलवश पटवारी कागजात में अमल नहीं हुआ इसलिये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अमल कराया जावे। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 4/1988-89 अ-1 दर्ज किया तथा जॉच एंव सुनवाई कर

आदेश दिनांक 15-5-89 पारित किया एंव वादग्रस्त भूमि आवेदक अल्लानूर पुत्र रहीम जाति मुसलमान के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। शासकीय अभिलेख में अल्लानूर पुत्र रहीम जाति मुसलमान का नाम दर्ज होने के उपरांत उसके व्दारा पॅजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 4-6-1990 से वादग्रस्त भूमि हिम्मत सिंह जाट निवासी वगडुआ को विक्रय कर दी। हिम्मत सिंह ने पॅजीकृत विक्रय दिनांक 24-2-94 से वादग्रस्त भूमि रामकिशन को विक्रय कर दी। रामकृष्ण की मृत्यु उपरांत वादग्रस्त भूमि पर कपूरी वाई का नामान्तरण हुआ और महिला कपूरीवाई ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23-9-2006 से श्रीमती कृष्णा गुप्ता पत्नि दौलतराम को एंव मनोज मित्तल पुत्र ओमप्रकाश मित्तल को विक्रय कर दी। तद्नुसार भूमि पर क्रेतागण का नामान्तरण हुआ।

कलेक्टर श्योपुर ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 4/1988-89 अ-1 में पारित आदेश दिनांक 15-5-89 के विरूद्ध वर्ष 2001-02 में स्वमेव निगरानी पॅजीबद्ध की तथा आदेश दिनॉक 8-10-2009 पारित करके अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 15-5-1989 निरस्त कर दिया एंव वादग्रस्त भूमि शासन के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रकरण क्रमांक 1167-दो/2010 के आवेदकगण (मृतक अल्लानूर के वारिसान) ने अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष निगरानी क्रमांक 10/2009-10 प्रस्तुत की , जो आदेश दिनांक 22-7-10 से निरस्त की गई। निगरानी प्रकरण क्रमांक 4287-दो/2016 के आवेदकगण ने अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष निगरानी क्रमांक 1/2008-09 प्रस्तुत की , जो आदेश दिनांक 22-7-10 से निरस्त की गई। इन्हीं आदेशों से

दुखी होकर यह दो निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ दोनों निगरानी प्रकरण एक-साथ योजित कर पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव निगरानी प्र0क0 1167-दो/2010 के तथ्यों एंव सम्बद्ध अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि मृतक अल्लानूर के वारिस ने कलेक्टर श्योपुर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर यह मांग रखी है कि हिम्मत सिंह ने अल्लानूर से विक्रयपत्र धोखे से संपादित कराया था उनके पिता अल्लानूर ने भूमि कभी विक्रय नहीं की। प्रकरण में मुख्यतः विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या राजस्व न्यायालय में विक्रय पत्र को अमान्य करने अथवा विक्रय पत्र को शून्य घोषित कर भूमि पुनः भूमिस्वामी के नाम दर्ज करने का दावा सुना जा सकता है। राजस्व न्यायालय को किसी भी दस्तावेज को शून्य घोषित करने की शक्तियॉ नहीं है जिसके कारण निगरानी प्र0क0 1167-दो/2010 के आवेदकगण की मॉग पर विचार करना संभव नहीं है। वादग्रस्त भूमि रिकार्डेड भूमिस्वामी अल्लानूर ने पॅजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 4-6-1990 से हिम्मत सिंह जाट को विक्रय की है जिसके कारण निगरानी प्र0क0 1167-दो/2010 के आवेदक 4-6-90 से वादग्रस्त भूमि से असम्बद्ध हो जाने कारण उन्हें अपील/निगरानी करने की पात्रता नहीं है। अतः उनके व्दारा प्रस्तुत निगरानी इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

5/ निगरानी प्रकरण कमांक 4287-दो/2016 के अभिभाषक

व्दारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया तथा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार श्योपुर व्दारा तत्समय की जांच के आधार पर प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक 534/06-07 बी 121 दिनांक 6-3-07 के तथ्यों एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15-5-1989 में आये विवरण का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि कस्वा श्योपुर के बलदेव पटैल जमींदार ने मृतक अल्लानूर को खेती करने के लिये पटटा दिया था जो संबत 1993 की जमाबंदी अभिलेखागार के अनुसार खाना नं. 3 एंव 4 में विवादित भूमि का भूमिस्वामी रहा है। संबत 2015 लगायत 2018 में अल्लानूर के नाम की प्रविष्टि एंव खेती करना अभिलेख से तहसीलदार ने प्रमाणित पाया है, जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 15-5-1989 व्दारा अल्लानूर के लिये भूमिस्वामी अधिकार होना पाकर उसका नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15-5-1989 के विरूद्व कलेक्टर श्योपुर ने वर्ष 2001-02 में जाकर अर्थात 11 वर्ष के अन्तर से स्वमेव निगरानी दर्ज की है। रणवीर सिंह तथा एक अन्य विरूद्व म0प्र0 राज्य 2010 रा0नि0 409 में माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ का न्याय दृष्टांत है कि 180 दिवस से अधिक अवधि वाद पुनरीक्षण करना अवधि-वाधित है। इस प्रकार कलेक्टर श्योपुर ने 11 वर्ष के अन्तर से स्वमेव निगरानी दर्ज कर आवेदकगण के हित के विपरीत निर्णय लेने में त्रृटि की है एंव इस पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ने आदेश दिनांक 22-7-10 पारित करते समय गौर न करने की भूल की है जिसके कारण कलेक्टर का आदेश दिनांक 8-10-09 तथा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक

22-7-10 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अल्लानूर पुत्र रहीम जाति मुसलमान भूमिस्वामी ने पॅजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 4-6-1990 से वादग्रस्त भूमि हिम्मत सिंह जाट निवासी वगडुआ को विक्रय की, तदुपरांत इस केता का नामान्तरण हुआ। हिम्मत सिंह ने पॅजीकृत विक्रय दिनांक 24-2-94 से वादग्रस्त भूमि रामकिशन को विक्रय कर दी, तदुपरांत इस केता का नामान्तरण हुआ। रामकृष्ण की मृत्यु उपरांत वादग्रस्त भूमि पर कपूरी वाई का नामान्तरण हुआ और महिला कपूरीवाई ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23-9-2006 से श्रीमती कृष्णा गुप्ता पत्नि दौलतराम को एंव मनोज मित्तल पुत्र ओमप्रकाश मित्तल को विक्रय कर दी, जिस पर से इन केतागण का नामान्तरण हुआ। तब क्या इतने नामान्तरण आदेशों को अनदेखा करते हुये तथा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 4-6-1990 , पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24-2-94, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23-9-2006 को शून्य मानते हुये वादग्रस्त भूमि को शासकीय दर्ज करने के आदेश देने की अधिकारिता कलेक्टर को है। शॉतिवाई विरूद्व जसरथ धोबी 2005 रा0नि0 45 एंव 1993(2) M.P.W.N. 174 सुप्रिम कोर्ट के न्याय दृष्टांत हैं कि राजस्व न्यायालय रजिस्ट्री विक्रीनामा को संदिग्ध मानकर केता के पक्ष में नामांतरण करने से अस्वीकार करने का अधिकार नहीं रखते हैं, परन्तु विचाराधीन प्रकरण में कलेक्टर श्योपुर ने उक्तानुसार हुये विक्रय पत्रों एंव उन पर से राजस्व अधिकारियों व्दारा किये गये नामान्तरणों को अनदेखा करते हुये वादग्रस्त भूमि आदेश दिनांक 8-10-2009 से शासकीय दर्ज करने के आदेश देने में भूल की है जिसके कारण कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक

18/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-10-2009 एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग व्दारा प्रकरण कमांक 1/2008-09 निगरानी में आदेश दिनांक 22-7-2010 पारित करते समय उक्त त्रृटियों पर ध्यान न देने की भूल की है जिसके कारण ऐसे त्रृटिपूर्ण आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 1/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-7-2010 तथा कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 18/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-10-2009 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं । फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 4/1988-89 अ-1 में पारित आदेश दिनांक 15-5-89 के पुर्नस्थापित होने से वादग्रस्त भूमि के अंतिम केतागण श्रीमती कृष्णा गुप्ता पत्नि दौलतराम एंव मनोज मित्तल पुत्र ओमप्रकाश मित्तल के नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर